(162)

1	2	3
5.	Albizzia procora, Benth	सफेद सिरस
6.	Bauhinia malabarica Roxb.	झीझा खदुवा
7.	Bauhinia variegata, Linn.	कचनार
8.	Boswellia serrata, Roxb.	सालई सालर
9.	Balanites roxburgli, Roxb. (egyptica)	हींगोट
10.	Butea frondosa, Koenig.	पलास.
11.	Cordia rothi	गूंदी
12.	Celastrus peniculata. willd	नालकांगनी
13.	Dalbergia sissoo, Roxb.	शीशम
14.	Eugenia jambolana, Lan.	जामुन
15.	Ficus religiosa, Linn	पीपल
16.	Ficus bengalensis, Linn	बड
17.	Ficus cunia, Ham.	पाखर
18.	Holoptelia integrifolia, planch.	चुरेल, कन्जु, कांज
19.	Lannea grandis, Engl.	गुरजन
20.	Prosopis juliflora	बिलायती बबूल
21.	Stephegyne parviflora, Korth	कदम, कलम
22.	Salvadora perseca.	जाल
23.	Wrightia tinctoria.	दूधी
24.	Zizyphus jujuba, Lam	बेर
25.	Adatoda vasica	अडूसा

वनखण्ड–निगोही

जयपुर, नवम्बर 13, 2009

संख्या प.2 (30) वन/2008:–चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन–भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन–उपज अथवा उसके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है;

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन–भूमि तथा बंजर–भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29, उप– धारा (I) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं;

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन–भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जॉच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूँकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है;

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटिलमेन्ट ऑफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जॉच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जॉच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसाकि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11,(I) 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रवाहित है।

(अभिमन्यु सहारण)
उप वन संरक्षक
भरतपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

163

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप-धारा (3)के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जॉच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा;

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राज पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रकिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर-भूमि)
द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

प्रथम अनुसूची

क्र. सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण		
					ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टे. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निगोही	डीग	भरतपुर	उत्तर-ग्राम वलदेववास पूर्व-अंजारी ग्राम दक्षिण-ककड़ा ग्राम पश्चिम-भौराकी ग्राम	1. अढावली	10	1.87
						38	11.25
					योग	किता- 2	13.12
					2. अंजारी	125	11.55
						127	3.08
					योग	किता- 2	14.63
					3. ककड़ा	488	2.30
						1176	12.27
						1316	24.53
						77	4.16
						181	0.61
						316	2.96
						342	1.25
						343	0.51
					योग	किता- 8	48.59
					वन खण्ड का योग	किता- 12	76.34

वनखण्ड-निगोही
द्वितीय अनुसूची
पेडों की सूची

क्र.सं.	बोटेनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	2	3
1.	Anogeisus pendula Wall	धौंकडा, धौ, कलधी, धौक
2.	Azadirachta indica, A Juss.	नीम
3.	Bauhinia variegata, Linn.	कचनार
4.	Boswellia serrata, Roxb.	सालई, सालर

(अभिमन्यु सहारण)
उप वन संरक्षक
भरतपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

164

1	2	3
5.	Balanites roxburglii, Roxb.(egytica)	हिंगोट
6.	Butes frondosa, Koenig.	पलास,
7.	Cordia rothi	गूंदी
8.	Dalbergia sissoo, Roxb.	शीशम
9.	Ficus religiosa, Linn	पीपल
10.	Ficus bengalensis, Linn	वड
11.	Ficus cunia, Ham.	पाखर
12.	Holoptelia integrifolia, planch.	चुरेल, कन्जु, कांज
13.	Moringa pterygosperma, Gearth	सेंजना
14.	Prosopis spicigera	खेजडा
15.	Prosopis juliflora	विलायती बयूल
16.	Stephegyne parviflora, Korth	कदम, कलम
17.	Salvadora olijordes. olicdis.	पीलू
18.	Salvadora perseca.	जाल
19.	Wrightia tinctoria.	दूधी
20.	Zizyphus jujuba, Lam	वेर
21.	Zizyphus xylopyra, willd.	घोट
22.	Adatoda vasica	अडूसा

वनखण्ड–जरखोह गुफा

जयपुर, नवम्बर 13, 2009

संख्या प.2 (3) वन/2008:–चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन– भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन–उपज अथवा उसके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है;

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन–भूमि तथा बंजर–भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप– धारा (I) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं,

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन–भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जॉच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है; परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है,

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953(1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप–धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटिलमेन्ट ऑफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जॉच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जॉच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली मे किया जायेगा जैसाकि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11,(I) 12, 13, 14, 17 तथा 19 में प्रवाहित है,

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप–धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जॉच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन–भूमि और बंजर–भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा;

(अभिमन्यु सह रण)
[illegible] संरक्षक
[illegible]पुर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner